

राज्य सलाहकार समिति – विद्युत मण्डल
STATE ADVISORY COMMITTEE-ELECTRICITY BOARD (SAC-EB)

अध्यक्ष कार्यालय :
 कक्ष क्र. 63, मंत्रालय
 वल्लभ भवन, भोपाल
 दूरभाष : 0755-2441455

Chairman's Office :
 Room No. 63, Mantralaya
 Vallabh Bhawan, BHOPAL
 Phone : 0755-2441455

सचिव कार्यालय :
 म.प्र.रा.वि.मं., शक्ति भवन
 विद्युत नगर, जबलपुर – 482 008
 दूरभाष : 0761-2663152

Secretary's Office :
 MPSEB, Shakti Bhawan
 Vidyut Nagar, Jabalpur – 482008
 Phone : 0761-2663152

सूचना

क्रमांक सचिव/रा.स.स.-वि.मं./75


जबलपुर, दिनांक 11/02/08

विषय: राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मण्डल द्वारा पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के कार्मिकों के उत्तरवर्ती म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डलों के मध्य आवंटन की प्रक्रिया ।

-:0:-

एतद् द्वारा पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मण्डल के कार्मिकों के उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डलों के मध्य आवंटन की प्रक्रिया संलग्नानुसार प्रकाशित की जाती है ।

आदेशानुसार



(पी0 के0 वैश्य)

सचिव

राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मण्डल

प्रतिलिपि:

1. श्री आर.पी.कपूर, अध्यक्ष, राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मण्डल, कक्ष क्र. 63, भूतल, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल ।
 2. श्री संजय कुमार शुक्ला, आईएएस सदस्य, राज्य सलाहकार समिति-वि.मं. एवं अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक, म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल ।
 3. श्री व्ही.के.जैन, सदस्य राज्य सलाहकार समिति-वि.मं.(SAC-EB) एवं सदस्य (पारे.एवं वित.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, डंगनिया, रायपुर ।
 4. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर ।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, डंगनिया, रायपुर ।
 6. अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत शासन, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
 7. सूचना पटल, ब्लाक नं. 14 भूतल, शक्ति भवन, म.प्र.रा.वि.मंडल, जबलपुर ।
- क्रमांक (4) एवं (5) हेतु-कृपया उपरोक्त सूचना को सर्वसंबंधितों की सूचनार्थ विभिन्न कार्यालयों के सूचना-पटलों एवं मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप, पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में

आवंटन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, के अंतर्गत, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक-पृथक विद्युत मंडलों का गठन किया गया है। म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000, के प्रावधानों के तहत, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मण्डल के पदों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरवर्ती म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडलों के मध्य आवंटन हेतु आदेश क्रमांक 42/8/2000-आर एण्ड आर दिनांक 6.1.2004, 19.2.04 तथा 24.2.04 द्वारा श्री आर. पी. कपूर, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, म. प्र. की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मण्डल का गठन किया गया है। समिति भारत शासन द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं भारत सरकार के उपरोक्त आदेश दिनांक 6.1.2004 की कंडिका क्रमांक 2 (i) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित सर्व-सहमति के तारतम्य में पदों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के विभाजन की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करती है:-

1. पदों के विभाजन की प्रक्रिया:-

1.1 पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के क्षेत्रीय एवं मैदानी स्तर से संबंधित स्वीकृत पदों (परियोजनाओं के पदों को मिलाकर), जहाँ ऐसे क्षेत्र पूर्णतः उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में स्थानांतरित हो गये हैं, को दिनांक 1.11.2000 से, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पद माना जावे तथा इसी प्रकार उत्तरवर्ती म. प्र. राज्य के क्षेत्रीय एवं मैदानी स्तर के पद (म. प्र. वि. मंडल के मुख्यालय, जबलपुर के सभी संवर्गों के पदों को छोड़कर) म. प्र. रा. विद्युत मंडल के पद माने जावें।

1.2 अन्य स्वीकृत पद, जो क्षेत्र विशेष से संबंधित न हों (अर्थात् जो समस्त पूर्ववर्ती म. प्र. वि. मंडल के कार्यक्षेत्र के लिये हों) तथा मुख्यालय के सभी संवर्गों के पदों को उपरोक्त पैरा 1.1 के अनुसार ज्ञात क्षेत्रीय पदों की संख्या के अनुपात में दोनो उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडलों में विभाजित किया जावे।

1.3 ऐसे राज्य स्तरीय पद/संवर्ग जिनके क्षेत्रीय कार्यालय नहीं हैं एवं जो मंडल मुख्यालय स्तर पर ही स्वीकृत हैं, का आवंटन कंडिका क्रमांक 1.1 एवं 1.2 के अनुसार अन्य राज्य स्तरीय संवर्गों हेतु आवंटित पदों के समेकित औसत के आधार पर किया जावे ।

1.4 एकांगी पदों का विभाजन नहीं किया जावे एवं उन्हें म.प्र.रा.वि. मं. के हिस्से में ही रहने दिया जावे परंतु जहाँ धारक अधिकारी/ कर्मचारी ने दूसरे उत्तरवर्ती विद्युत मंडल में जाने का विकल्प दिया है, वहां उसे दूसरे राज्य विद्युत मंडल को दे दिया जाए बशर्ते इसमें कोई तकनीकी समस्या न हो।

1.5 दो पदों के संवर्ग में एक-एक पद का आवंटन केवल विकल्प के आधार पर ही किया जावे ।

1.6 यदि प्राप्त विकल्पों की संख्या कम/अधिक हो तो उतने ही वाहन चालकों एवं भृत्यों के पद छ.ग. राज्य विद्युत मंडल को आवंटित किये जावे , जिन्होंने उस राज्य के लिये विकल्प दिया हो ।

1.7 यदि किसी संवर्ग में, स्वीकृत पद संख्या से अधिक, अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है तब उस संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उसी अनुपात में बांट दिया जाये, जिस अनुपात में पदों का विभाजन किया गया है।

2. अधिकारियों/कर्मचारियों के विभाजन की प्रक्रिया:-

2.1 वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 1.11.2000 से पूर्व, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में राज्य स्तरीय संवर्ग में कार्यरत थे, का आवंटन किया जावे । वे अधिकारी/कर्मचारी, जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं या सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश पर हैं या अन्य प्रकार के अवकाश, प्रशिक्षण या प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर हैं, भी सम्मिलित किये जावें । आवंटन की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जावे कि दिनांक 1.11.2000 की स्थिति में संवर्ग में सम्मिलित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन दोनों उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडलों में से किसी एक मंडल में अवष्य हो और कोई अधिकारी/कर्मचारी आवंटन हेतु शेष न रहे ।

2.2 उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडलों के क्षेत्र में मैदानी स्तर में स्थित कार्यालय/इकाई में पदस्थ ऐसे कर्मचारियों, जिनका स्थानांतरण सामान्यतः उस क्षेत्र में ही होता है और जो राज्य स्तरीय संवर्ग में नहीं आते हैं, को निर्धारित तिथि 1.11.2000 से उस उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडल को आवंटित माना जावे, जिस राज्य विद्युत मंडल में वे कार्यरत हैं।

2.3 दिनांक 1.11.2000 से 31.10.2002 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उसी राज्य विद्युत मण्डल को आवंटित माना जावे जिसमें वे सेवा निवृत्ति की तिथि पर कार्यरत थे ।

2.4 निलंबित/अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित (एब्सकोन्डिंग) अधिकारी/कर्मचारी को भी, दिशा निर्देशों के अनुरूप, उत्तरवर्ती विद्युत मंडल आवंटित किया जाये । ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई जांच चल रही हो, को विभागीय जांच पूर्ण करने के पश्चात कार्यमुक्त किया जावे । अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित (एब्सकोन्डिंग) अधिकारियों/कर्मचारियों से, विकल्प प्राप्त न होने की स्थिति में, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल सेवा में, न जाने का इच्छुक समझा जाये ।

2.5 यदि संवर्ग में, प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य कारणों से स्वीकृत पद संख्या से अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे, तो इन अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन भी स्वीकृत पदों के अनुपात में किया जावे ।

2.6 ऐसे प्रकरणों में जहां संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, यह मानकर कार्यवाही की जावे कि भविष्य में उनके संबंध में जानकारी मिलने पर वे उसी उत्तरवर्ती विद्युत मंडल में आवंटित माने जावेंगे जिसके कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं । प्रत्येक संवर्ग की आवंटन सूची में इस संबंध में विशिष्ट टीप अंकित कर दी जावे ।

2.7 उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छ.ग. राज्य विद्युत मण्डलों के मध्य आवंटन का कार्य निर्धारित समयावधि यथा 30-04-01 तक प्राप्त विकल्पों के आधार पर किया जावे अर्थात् छ.ग. एवं म.प्र. हेतु निर्धारित अवधि में प्राप्त विकल्प को मान्य करते हुये तदनुसार राज्य आवंटन किया जावे । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल हेतु संवर्ग वार निर्धारित संख्या से अधिक विकल्प प्राप्त होने की स्थिति में भरे हुए एवं रिक्त पदों को सम्मिलित कर सकल आवंटित पदों की सीमा तक अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को किया जा सकेगा तथापि निर्धारित संख्या से कम विकल्प प्राप्त होने की स्थिति में उतने ही अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन किया जाएगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य हेतु विकल्प दिया है । शेष पद रिक्त मानकर ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को आवंटित किये जावेंगे । राज्य स्तरीय संवर्गों में आवंटित कुल भरे गये एवं रिक्त पदों की सीमा तक सकल संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों से छत्तीसगढ़ राज्य हेतु प्राप्त कुल विकल्पों के आधार पर आवंटन हेतु विचार किया जा सकेगा। अर्थात् संवर्गवार पदों के आवंटन की प्रक्रिया तो कंडिका क्रमांक 1 में दर्शाए अनुसार ही होगी तथापि एक संवर्ग के आवंटित पद के विरुद्ध अन्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी का विकल्प के आधार पर आवंटन किया जा सकेगा । समान नियम म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल हेतु भी लागू होंगे ।

2.8 अधिकारियों/कर्मचारियों से उनकी प्राथमिकता प्राप्त की जा चुकी है कि वे किस राज्य में अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं। दिनांक 30.4.2001 तक प्राप्त अद्यतन विकल्प का ही, आवंटन हेतु उपयोग किया जावे। यदि विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की सेवा में, न जाने का इच्छुक समझा जाये।

2.9 पूर्व में विकल्प एवं/अथवा आवश्यकता अनुरूप कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडलों को भेजा/स्थानांतरित किया गया है। उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का जो आवंटन पूर्व में किया गया है, उसे उक्त मंडल को आवंटित मानकर ही कार्यवाही की जावेगी।

2.10 संबंधित संवर्ग की दिनांक 1.11.2000 अथवा इस दिनांक के पूर्व, की उपलब्ध अद्यतन (up-to-date) वरिष्ठता सूची को आधार मानकर आवंटन किया जाये। जिन संवर्गों में दिनांक 1.11.2000 की स्थिति में वरिष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है उनमें दिनांक 1.11.2000 तक जारी पदोन्नति/नियुक्ति आदेश के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण कर आवंटन किया जावे। वरिष्ठता/पदोन्नति आदि से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों को विशेष टीप (*) के साथ इंगित किया जावे जिसका तात्पर्य होगा कि उनका राज्य आवंटन न्यायालयीन निर्णय के अधीन है।

स्पष्टीकरण :-

2.11 राज्य स्तरीय संवर्ग से तात्पर्य उस संवर्ग से है जिसकी एक संयुक्त वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर संधारित की जाती थी एवं जिनमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण समस्त पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मण्डल की भौगोलिक सीमा में कहीं भी किया जा सकता था।

3. विभाजन हेतु आवश्यक जानकारी एवं अनंतिम आवंटन सूची (Tentative Final Allocation List) संबंधी प्रक्रिया :-

म. प्र. विद्युत मंडल के राज्य स्तरीय संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में जानकारी दोनों राज्य विद्युत मण्डलों के सहयोग से बनाई जावेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कार्यक्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का सेवा विवरण वर्ष 2002 में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को उपलब्ध कराया जा चुका है। दोनों उत्तरवर्ती विद्युत मण्डल अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का सेवा विवरण सचिव, राज्य सलाहकार समिति-वि.मं. को उपलब्ध करावेंगे। उक्त जानकारी के आधार पर अनंतिम आवंटन सूची (Tentative final Allocation List - TFAL) बनाई जावेगी। उक्त TFAL दोनों राज्य विद्युत मण्डलों को सत्यापन हेतु भेजे जावेंगे। 4 सप्ताह की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में TFAL में सम्मिलित जानकारी को सत्य मानते हुए उसे राज्य सलाहकार समिति -वि.मं. के सचिव के हस्ताक्षर से जारी कर दिया जावेगा। दोनों उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डल इस सूची को अपनी-अपनी वेब साइट पर जारी करेंगे एवं महत्वपूर्ण कार्यालयों के, सूचना पटलों पर भी प्रदर्शित करेंगे।

4. आरक्षित वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन-

यदि विकल्प के आधार पर अथवा अदला-बदली के कारण आवंटन करने से विद्यमान प्रतिशत से अधिक आरक्षित वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी किसी उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडल को जाते हैं तब भी वह नियमानुकूल है, क्योंकि भरती/पदोन्नति में आरक्षण की न्यूनतम सीमा है परंतु कार्यरत संख्या में आरक्षण की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

5. पति/पत्नी (Spouse) का राज्य आवंटन:-

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विभाजन के संदर्भ में म. प्र. विद्युत मंडल में कार्यरत पति/पत्नी (Spouse) के, राज्य आवंटन के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया रहेगी :-

5.1 किसी अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी की सेवायें, केन्द्र शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड, राज्य शासन, किसी स्वायत्त संस्था जैसे पंचायत, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, मंडी, सहकारी संस्था/पंजीकृत समिति आदि की सेवा में हो, अथवा राज्य शासन के उपक्रम द्वारा, किसी उत्तरवर्ती राज्य को आवंटित कर दी गई हैं तो उन पति-पत्नी के संयुक्त निवेदन पर, पति अथवा पत्नी को वही राज्य आवंटित करने पर विचार किया जा सकेगा।

5.2 जहाँ पति/पत्नी दोनों ही, मंडल में कार्यरत है, दोनों को वही राज्य आवंटित किया जावेगा, जो संवर्ग में वरिष्ठ पति/पत्नी को आवंटित हो, परंतु संवर्ग में पत्नी के निवेदन पर उसे, पति को आवंटित राज्य से भिन्न राज्य भी आवंटित किया जा सकेगा ।

5.3 यदि पति/पत्नी दोनों ही मंडल की सेवा में है व उनमें से एक का संवर्ग, राज्य स्तरीय संवर्ग नहीं है तो पति/पत्नी के ऐसे मामलों में, गैर राज्य स्तर की मंडल सेवा के पति/पत्नी को भी, उनके निवेदन करने पर, उसी उत्तरवर्ती विद्युत मंडल में पदस्थापना की जाये जो राज्य स्तरीय पति/पत्नी (Spouse) को आवंटित हुआ है ।

6. महिला कर्मचारियों का आवंटन:-

महिला कर्मचारियों का आवंटन, उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर किया जायेगा । विधवाओं को उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर अनंतिम आवंटन सूची में किये गये राज्य परिवर्तन हेतु विचार किया जा सके ।

7. विकलांग पुरुष कर्मचारियों का आवंटन:-

विकलांग पुरुष कर्मचारियों का आवंटन, उनके द्वारा, प्रस्तुत विकल्प के आधार पर किया जायेगा ।

8. अनुकंपा अथवा सहानुभूति के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों के आवंटन पर विचार:-

8.1 स्वयं या परिवार के आश्रित सदस्यों के गंभीर किस्म की बीमारी जैसे कि कैंसर, किडनी एवं मानसिक बीमारी इत्यादि अथवा अन्य सहानुभूति के आधार पर दिये गये अभ्यावेदनों पर, समिति द्वारा विचार कर, परिस्थिति अनुसार निर्णय लिया जा सकेगा ।

8.2 अनुकम्पा के आधार पर, कोई अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने की स्थिति में, किसी अन्य व्यक्ति की सेवाएं आवंटित नहीं की जायेगी ।

8.3 विकल्प देने की अंतिम तिथि अर्थात् 30.4.2001 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की भौगोलिक सीमा में कार्यरत अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों ने म.प्र.राज्य हेतु विकल्प दिया था एवं उक्त आधार पर उनका आवंटन विकल्पानुसार किया गया है । ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल आवंटित किये जाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा । समान प्रावधान म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल हेतु भी लागू होंगे ।

9. अधिकारियों/कर्मचारियों की आपसी अदला-बदली/एवजीदार के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया (Mutual Transfer/ Substitute):-

9.1 राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की अनंतिम आवंटन सूची (TFAL) में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आवंटित हुआ है, वे उसी संवर्ग एवं समकक्ष कार्य-प्रकृति के अधिकारी/कर्मचारी से, आपसी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। इसके लिये विकल्प नहीं देखा जायेगा। पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक एवं पात्र, राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, संयुक्त आवेदन एवं आपसी सहमति संबंधी, सहमति पत्र, जो संबंधित मंडल के सचिवों द्वारा अभिप्रमाणित हो, राज्य सलाहकार समिति के विचारार्थ निर्धारित समयवधि अर्थात् अनंतिम आवंटन सूची (TFAL) जारी होने की तिथि से एक माह में प्रस्तुत किये जावें।

10. गैर राज्य स्तरीय संवर्गों के कर्मचारियों का आपसी स्थानांतरण/ आवंटन:-

10.1 गैर राज्य स्तरीय संवर्गों के कर्मचारियों का आपसी स्थानांतरण, उसी संवर्ग में समान पद, समान वेतनमान एवं समकक्ष कार्य प्रकृति के गैर राज्य स्तरीय कर्मचारियों से, किया जा सकेगा।

10.2 उपरोक्त के अलावा यदि किसी कर्मचारी की अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के कर्मचारी की नियुक्ति/पदोन्नति उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय आधार पर (**Regional Basis**) हुई हो और वे अपने मूल निवासी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु वापस आना चाहते हैं तो ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा।

11. आवंटन संबंधी आदेश एवं आवंटन के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की प्रक्रिया:-


11.1 अनंतिम आवंटन सूची में, यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई आपत्ति हो, तो वे सूची के प्रकाशन के, एक माह के अंदर, अपना अभ्यावेदन संलग्न प्रपत्र (अ) में अपने मंडल के सचिव के माध्यम से, सचिव, राज्य सलाहकार समिति –विद्युत मंडल को देंगे। संबंधित मंडल के सदस्य, प्राप्त अभ्यावेदनों में दर्शाये कारणों पर, अपनी टिप्पणी/अनुशंसाएं, समिति को प्रेषित करेंगे।

11.2 पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में, प्राप्त आवेदनों पर, इस हेतु संलग्न प्रपत्र-ब में, कंडिका क्रमांक- (9) एवं (10) में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

11.3 राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मंडल अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त प्रत्येक अभ्यावेदन पर विचार कर, उत्तरवर्ती विद्युत मंडल में आवंटन के संबंध में, भारत शासन द्वारा इस संबंध में आदेश क्रमांक 42/8/2000-R&R (Vol.-V) (C) दिनांक 21.4.06 से जारी निर्देशों के अनुसार आवंटन संबंधी अंतिम आदेश जारी करेगी जो कि दोनों उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डलों पर बंधनकारी होंगे ।

11.4 अधिकारी/कर्मचारी, राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मंडल द्वारा जारी अंतिम आवंटन आदेशों के विरुद्ध अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली (Central Electricity Authority, New Delhi) को अपने-अपने विद्युत मण्डलों के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। जिनका निराकरण अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दोनों उत्तरवर्ती विद्युत मण्डलों से अभिमत प्राप्त कर प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर किया जावेगा, जो कि दोनों उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डलों पर बंधनकारी होगा।

आदेशानुसार



सचिव

राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मंडल

प्रारूप-ए
प्रावधिक आवंटन के विरुद्ध कार्मिक के अभ्यावेदन पर विभागीय टीप

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | अभ्यावेदन क्रं. (Grievance No.) | |
| 2. | कार्मिक का नाम एवं एम्प्लॉई नंबर | |
| 3. | पदनाम | |
| 4. | वेतनमान | |
| 5. | उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडल | |
| 6. | प्रशासकीय विभाग / संकाय | |
| 7. | वर्ग-सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. | |
| 8. | मंडल प्राथमिकता | |
| 9. | वर्तमान आवंटन (टी एफ ए एल के अनुसार) | |

अभ्यावेदन में उठाये गये मुद्दे

मुद्दों पर संबंधित वि. मंडल की टीप

- | | | | |
|----|-------|---|-------|
| 1. | | 1 | |
| | | | |
| 2. | | 2 | |
| | | | |
| 3. | | 3 | |
| | | | |

अनुशंसा-----

हस्ताक्षर (प्राधिकृत अधिकारी)

.....

समिति का निर्णय-----

(हस्ताक्षर)

सचिव

राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मंडल

प्रारूप-बी

पारस्परिक अदला- बदली (MUTUAL TRANSFER) के प्रकरण

क. SI No	अभ्यावेदन क Grievance Number	कार्मिक का नाम Employee name	आर. आई. डी./ एम्पलाई नं. R.I.D. No.	पदनाम Desig- Nation	वेतनमान Pay scale	उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडल का नाम	अनंतिम सूची में आवंटन Allotted as per TFAL	उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तावित मंडल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1ए								
2								
2ए								

उपरोक्त पारस्परिक अदला-बदली के प्रकरणों की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर (प्राधिकृत अधिकारी)
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल

हस्ताक्षर (प्राधिकृत अधिकारी)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

टीप - अनुक्रमांक में क्रमांक- 1 उस कर्मचारी की जानकारी दी जावे जिसका प्रावधिक आवंटन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को किया गया है, उसके नीचे क्रं. 1- ए पर उस कर्मचारी की जानकारी दी जावे जिसके द्वारा, पारस्परिक स्थानांतरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जाने का विकल्प दिया है।